(504)

प्र.मु.व.सं. आवक क्र. 1364
दिनांक 4/07/14

APCCF (B/A)
PCCF 03/7

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

—:: आदेश ::—

नया रायपुर, दिनांक 03/07/2014

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 2–7/2013/10–2/बजट, दिनांक 18/02/2014 के द्वारा वन विभाग के समस्त कार्यालयों में बैंक खातों के जरिए मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इस विषय में क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सुझावों और कतिपय क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रक्रिया को त्वरित और सरल बनाने के उद्देश्य से उपरोक्त संदर्भित निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

(1) वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों यथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य औषधिय पादप बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय, राज्य एवं राज्य कैम्पा निधि से संचालित समस्त योजनाओं/कार्यों में मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से पूर्व निर्धारित भुगतानकर्ताओं द्वारा सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित अपवाद की स्थिति में श्रमिकों को नकद भुगतान की अनुमति दी जाती है :–

(2.1) किसी श्रमिक को देय भुगतान की राशि रू. 500/– अथवा उससे कम हो तो उसका भुगतान नकद किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कैम्पिंग श्रमिकों को भी नकद भुगतान किया जा सकता है ।

(2.2) ऐसे श्रमिक, जिनका बैंक खाता नहीं है, उनके खाते शीघ्रतिशीघ्र खुलाए जावें, तब तक उन्हें नगद भुगतान किया जा सकता है ।

(2.3) ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकों की सेवाएँ अपर्याप्त है, वहाँ जिले के कलेक्टर एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा नकद भुगतान के बारे में निर्णय लिया जाए। इस अनुक्रम में जहाँ बैंक, श्रमिकों के निवास ग्राम से 5 कि.मी. की सीमा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक आवक क्र. 196 दिनांक 4/7/14 छत्तीसगढ़, रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़, रायपुर

के अन्दर स्थित नहीं है, उन गाँवों की एकजाई सूची संबंधित कलेक्टर/वन मण्डलाधिकारी अनुमोदित करें। कलेक्टर्स और वन मण्डलाधिकारी उक्त सूची को त्रैमासिक रूप से परीक्षण कर यह प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में भुगतान बैंक खाते के जारिए हो सके।

(2.4) श्रमिकों को नकद भुगतान की स्थिति में निम्नानुसार भुगतान समिति के सदस्यों में से, जो भी उपस्थित हो, के समक्ष भुगतान किया जाएगा :–

(i) संबंधित गाँव का सरपंच या पंच;

(ii) वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष;

(iii) स्थानीय प्रधान पाठक अथवा कोई एक शिक्षक;

(iv) स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

(v) ASHA/मितानिन ।

भुगतानकर्ता अधिकारी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त समिति के सदस्यों को दूरभाष (मोबाइल) पर भुगतान स्थल, समय व दिनांक की सूचना भुगतान तिथि से न्यूनतम दो दिवस पूर्व दी जाएगी।

(2.5) उपरोक्त के अतिरिक्त अपवाद स्वरूप नकद भुगतान करने, समिति के सदस्य निर्धारण करने हेतु या समिति गठन से छूट देने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य औषधिय पादप बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकृत किया जाता है।

(3) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अनिल कुमार साहू)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

O/C

506

पृष्ठा.क्र एफ 2–7/2013/10–2/बजट: नया रायपुर, दिनांक 03/07/2014

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छ.ग.रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर ।
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम रायपुर ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य औषधिय पादप बोर्ड रायपुर ।
9. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
10. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय, वन्यप्राणी एवं कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़।
11. समस्त जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
12. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़ ।
    की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त संशोधित आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जावे ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त संशोधित आदेश को शासन एवं वन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

O/C